FORM NO. 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

Court of District collector..................................at- Phalodi

अनवानः– रामसिंह बनाम जैतमाल सिंह वगैरह

मुकदमा नं.:– ......10/2024...................

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the order
07/1/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता ने अप्रार्थीगण को भेजे गये सम्मन की डाक रसीदे एवं TRACKING REPORT पेश की। जो शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थी संख्या 04 की ओर से अधिवक्ता श्री कंवरलाल मेघवाल ने वकालातनामा पेश किया। शेष अप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 4 के अभिभाषक द्वारा सुनवाई के दौरान अवगत कराया कि अप्रार्थी संख्या 01 जैतमालसिंह पुत्र प्रेमसिंह राजपूत का पूर्व में स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मृत व्यक्ति के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है। जो विधि अनुसार चलने योग्य नहीं है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी रामसिंह की ओर से प्रकरण में आदेश 22 नियम 4 व नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह स्वीकारयोक्ति दी है कि अप्रार्थी संख्या 01 जैतमालसिंह फौत हो चुका है। अतः उसके सीान पर उनके कायममुकाम को पक्षकार बनाया जावें। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो विधि अनुसार चलने योग्य (Maintainable) नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। निगरानी मृत व्यक्ति के विरूद्व प्रस्तुत की गई जो चलने योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाती है। जिला कलक्टर फलोदी	